

**न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)**  
**पीठासीन अधिकारी:- श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 66/2013

**बउनवान**

राज0 सरकार जय्ये पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला परिषद्, बारां जिला बारां (राज.)  
(निगराकार)

**बनाम**

1. राजेश कुमार पुत्र श्री छोटूलाल मालव जाति धाकड़ निवासी ग्राम बोहत तह0 अन्ता जिला बारां
2. ग्राम पंचायत बोहत जय्ये ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, पंचायत समिति, अन्ता जिला बारां (राज.)  
(गैरनिगराकारान)



**निगरानी अन्तर्गत धारा 92, 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994**

**बाबत निरस्त किये जाने पट्टा**


उपस्थिति :- 1. श्री रूपचन्द सिंगावत अभिभाषक (निगराकार)  
2. श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी, अभिभाषक (गैर निग. क्रम 1)

**निर्णय दिनांक 04.08.2022**


निगराकार द्वारा जय्ये अभिभाषक प्रस्तुत निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत बोहत ने दिनांक 20.08.2004 को गै. मु. तलाई की भूमि खसरा नंबर 2500 रकबा 0.28 है. का पट्टा क्रमांक 304 साइज 25X25 कुल क्षेत्रफल 625 वर्गफीट का गैर निगराकार क्रम 1 को जारी किया है जो नियम विरुद्ध व अवैधानिक होने से निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी उक्त विवादित पट्टा आबादी भूमि में नहीं दिया गया है जबकि ग्राम पंचायत को वैधानिक रूप से आबादी भूमि का ही पट्टा जारी करने का अधिकार है। गैर आबादी भूमि (चारागाह, सिवायचक, रास्ता, निजी खातेदारी, बाड़ा इत्यादि) में पट्टा जारी किया जाना पूर्णतया अवैधानिक कृत्य है। अंकेक्षण वर्ष 2004-05 की ऑडिट रिपोर्ट के बाद विकास अधिकारी एवं पटवारी हल्का द्वारा की गयी जांच में भी उक्त पट्टा आबादी भूमि का नहीं पाया गया। फलतः उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है। अतः निवेदन है कि गैर निगराकार क्रम 1 के पक्ष में दिनांक 20.08.2004 को जारी पट्टा संख्या 304 निरस्त फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर, गैर निगराकारान को तलब किया गया।

गैर निगराकार क्रम 1 जय्ये अभिभाषक तथा क्रम 2 स्वयं उपस्थित हुये। परन्तु गैर निगराकार क्रम 1 व 2 की ओर से जवाब पेश नहीं हुआ। अधीनस्थ कार्यालय का रेकार्ड तलब किया गया।

अधीनस्थ कार्यालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस  नियत किया।

हमने बहस उभयपक्ष उपस्थित अभिभाषक निगराकार एवं गैर निगराकार क्रम 1 की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक निगराकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते

  
जिला कलक्टर  
बारां (राज0)

हुए कथन किया कि गैर निगराकार क्रम 1 को जारी पट्टा आबादी भूमि का ना होकर गै.मु.तलाई भूमि का है। अतः निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत बोहत द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 को जारी पट्टा क्रमांक 304 दिनांक 20.08.2004 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक गैर निगराकार क्रम 1 ने कथन किया कि गैर निगराकार क्रम 1 को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया था जिसके विरुद्ध निगरानी बेरून मियाद पेश की है। पट्टा किस खसरा नंबर का जारी किया गया है पट्टे में खसरा नंबर दर्ज नहीं है। गैर निगराकार क्रम 1 को पट्टा कीमतन जारी किया गया है जिसे निगरानी के माध्यम से निरस्त नहीं किया जा सकता। प्रकरण क्षेत्राधिकार का नहीं है। इसमें अपील की जानी चाहिये। अतः निगरानी निरस्त फरमाई जावे।

रिबीटल में अभिभाषक निगराकार ने कथन किया कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है। तथा अपने कथन के समर्थन में विधिक दृष्टांत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 11006/2012 बउनवान Nagar Mal Vs. Addl. District Collector, Sikar & Ors. में पारित निर्णय दिनांक 30.07.2012 एवं एस.बी.सिविल रिट पिटिशन नं. 57/2020 बउनवान Khusal Singh Vs. State Of Rajasthan & Ors में पारित निर्णय दिनांक 14.01.2020 की छायाप्रतियां पेश की।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत पट्टा निरस्त करने हेतु निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है तथा निगरानी हेतु समय सीमा की बाध्यता नहीं होना भी प्रस्तुत विधिक दृष्टांत से स्पष्ट है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के प्रावधानानुसार आबादी भूमि का ही पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जा सकता है, जबकि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी ग्राम पंचायत बोहत द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 को गै.मु. तलाई की भूमि का पट्टा जारी किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत बोहत द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 को जो पट्टा जारी किया गया है, वह अनुचित तरीके से नियम विरुद्ध जारी किया है।

परिणामस्वरूप निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, ग्राम पंचायत बोहत द्वारा गैरनिगराकार क्रम-1 श्री राजेश कुमार पुत्र छोटूलाल मालव को जारी पट्टा क्रमांक 304 दिनांक 20.08.2004 निरस्त किया जाता है। पट्टेधारी को उक्त पट्टे पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2022 को लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।



(नरेन्द्र गुप्ता)  
जिला कलेक्टर, बारां  
बारां (राज.)